उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्या : जी–2–106 / दस–2012–59 / 81
लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2012

## विज्ञप्ति
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम–9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय **वर्ष 2011–2012** में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर **दिनांक 01–4–2011 से 30–11–2011** तक की अवधि के लिए **8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत)** तथा **दिनांक 01–12–2011** से **8.6 प्रतिशत (आठ दशमलव छः प्रतिशत)** होगी। उक्त दरें **पहली अप्रैल, 2011** से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेंगी।

आज्ञा से,
**वृन्दा सरूप,**
प्रमुख सचिव, वित्त

No. G-2-106/X-2012-59/81
Lucknow : Dated : April 12, 2012

## Notification
Miscellaneous

In accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh), Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be **8% (eight percent)** for the period **from 01-04-2011 to 30-11-2011** and **8.6% (eight point six percent)** with effect **from 01-12-2011** during the Financial Year 2011-2012, on all accounts. These rates shall be in force during the Financial Year beginning on April 01, 2011.

By order,
Vrinda Sarup,
Pramukh Sachiv, Vitta